दिनांक 20.01.2024 वाद पुकारा गया। वादी की तरफ से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत एक आवेदन दिया गया जिसके अंतर्गत वादी का कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी सं0 1 प्रभु पासवान दिनांक 24.06.2019 को लिखित कथन दाखिल किये और अंगूठे का निशान बनाए । यह कि सत्यापन पर सभी अभियुक्तों का छाप नहीं हुआ । यह कि प्रभू पासवान दिनांक 13.08.2019 को दस्तख्त दिए कि प्रभू पासवान का छाप व हस्ताक्षर करने का परमिशन ले लिए । यह कि न्यायालय से दिनांक 24.09.2019 को अन्य प्रतिवादीगण के छाप का आदेश करा लिए जो गैर कानूनी है। अतः दिनांक 24.09.2019 के आदेश को वापस करते हुए प्रभू पासवान के आवेदन पर सुनवाई कर खारिज करने की कृपा करें।

मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया । प्रतिउत्तर में कहा गया कि वादी ने गलत आशय का आवेदन दिया है । यह कि न्यायालय ने 24.09.2019 को अपने आदेश द्वारा सभी प्रतिवादी जिनका नाम और हस्ताक्षर सत्यापन कालम में नहीं था । वादी के अधिवक्ता के उपस्थिति में अपना अपना हस्ताक्षर बनाए । यह कि यदि वादी उस आदेश से पीड़ित था तो उन्हें अपील में जाना चाहिए था । वादी का आवेदन काल बाधित है अतः अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

मामले में उभय पक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, मामले में न्यायालय के दिनांक 24.09.2019 के आदेश का अवलोकन किया । जिसके तहत न्यायालय द्वारा सत्यापन कालम में प्रतिवादी का हस्ताक्षर छूटने का आवेदन पर न्यायहित में आवेदन स्वीकृति किया। मामले में उस आदेश को पारित होने के लगभग चार वर्ष बाद वादी ने न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। जो प्रथम दृष्टया विधिसम्मत नहीं है चूंकि मामले में किसी भी न्यायालय को अपने ही समकक्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेश के वैधता पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है । मामले में वादी का आवेदन शरारतपूर्ण तथा विधिसम्मत नहीं है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादी जानबूझकर गलत आवेदन न्यायालय में दाखिल कर विगत आठ माह से न्यायालय के प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं । अतः प्रस्तुत आवेदन दिनांक 3.06.2023 को तीन हजार रुपया जो मोतिहारी जिला न्यायालय के नजारत में जमा की जाएगी , के साथ खारिज किया जाता है। यदि वादी अग्रिम तिथि तक खर्चे की रकम के संबंध में रसीद न्यायालय में जमा नहीं करते हैं तो प्रस्तुत रकम उनसे जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)